Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 7.671
January to March 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLV

प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के रोकथाम एवं प्रबंध

डॉ. विनिता भालसे* प्रो. ममता कनेश**

* सहायक प्राध्यापक (राजनिति विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – प्रकृति मनुष्य की पालनकर्ता है, प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग करते हूए मानव ने अपने जीवन को अत्यधिक सुखमय बनाया है, और इस क्रम में प्रकृति की सोम्यता देखते हुए उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्ठा की है, परन्तु यह स्पष्ट है कि जब प्रकृति कुपित होती है तो फिर उसके आगे मनुष्य की नही चलती है, और विनाशकारी परिस्थतियां उत्पन्न होती जिससे जनधन की हानि होती है,व जिस पर मानव का नियन्त्रण नही होता है। वह आपदा कहलाती है। आपदा ऐसी असामान्य घटना है जो सीमित अवधि के लिए आती है, किन्तु किसी भुभाग या देश का अर्थव्यवस्था को छिन्न – भिन्न कर देती, कोई भी आपदा मनुष्य को झकझोर देने वाली घटना होती है, प्राय: एसी भयंकर घटना जिससे मनुष्य किंकर्तव्यविमुढ हो जाता है, प्राय: जान गॅवा बैठता है।

चुँकि कोई भी आपदा बताकर नही आती इसलिए पहले से सावधान या सतर्क रहने की अवश्यकता होती है, कहा जाता है कि जो राष्ट्र या देश जितना ही विकसित होगा। वह आपदाओ के प्रति उतना जागरूक होगा। प्राय: विकासशील देश जिसमें निर्धन देशो की संख्या अधिक है, बार –बार आपदाओं के शिकार बनते आए है। जो आपदा से ग्रस्त हो जाते है, पीडित होते है, उनको सहायता पहुँचाना, उनकी रक्षा करना समाज या राष्ट्र का कर्त्तव्य है।

इस दिशा मे विभिन्न स्तरो पर कई प्रकार के कदम उठाये गए है।जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 मे रियो डि जनेरो ब्राजील में भु–शिखर सम्मेलन और मई 1994 में यॉकोहांग, जापान में आपदा प्रबंध पर विश्व संगोष्ठी तथा भारत मे 2005 अधिनियम बना कर आपदा से बचने के लिए ठोस कदम उठाये गये।

1. प्राकृतिक आपदा – प्राकृतिक आपदाएँ विनाशकारी आपदाएँ है ,जो ग्रह पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बाढ, तुफान, सुनामी और भूकंप आना, भूस्खलन होना आंधी आना,ज्वालामुखी फटना,ग्लेशियर पिघलना, सुनामी आदि घटनाएँ ये सभी प्राकृतिक रूप से घटित होती है ।

2. मानव–निर्मित आपदा – मानव निर्मित आपदा वे अपदाएँ जिनका कारण मानवीय गतिविधियां होती है। तकनीकी और मानव जनित आपदाएँ मनुष्यों के द्वारा मानव के नजदीकी संस्थापनों के कारण उत्पन्न होती है। इसमें पर्यावरणीय अवनति प्रदुषण और दुर्घटनाएँ शामिल होती है। कुछ आपदाएँ विभिन्न प्रकार के अन्य खतरों के कारण उत्पन्न होती है, जो कि अधिकतर मानव जनित और प्राकृतिक आपदाओं का जटिल संयोग होता है। जैसे– औद्योगिक बहि:स्त्राव, घरेलू बहि:स्त्राव, वाहित मल, कृषि बहि:स्त्राव ,तेलीय स्त्रौत,अणुशस्त्र, तापीय स्त्रौत, रेडियो धर्मी अपशिष्ट, वहन क्रिया, नगरपालिका अपशिष्ट, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन। जिसका परिणामस्वरूप ऐसी आपदाएं जन्म लेती है, जिस पर मानव का नियंत्रण नही रहता है।

3. भारत में आपदा प्रबंधन एवं राष्ट्रीय नीति – भारत एक विशाल देश है। 28 राज्य और 8 केन्द्र शासित प्रदेश है, जिसमे से 25 राज्य आपदा उन्मुख है । देश आधे से अधिक 65 प्रतिशत क्षैत्रफल भूकंपी क्षैत्र के अंतर्गत आता है। 70 प्रतिशत भुमि–सुखा उन्मुख है। 12 प्रतिशत बाढ उन्मुख है और 8 प्रतिशत चक्रवात उन्मुख है। स्पष्ट है, कि हमारे देश मे पुष्ट आपदा प्रबंधन की महती आवश्यकता है। सरकार बारंबार प्रबंध की कमियों को स्वीकार तो करती रहती है, पिछले चार दशकों से (1980–2020) मे प्राकृतिक आपदाओ(कोविड–19)के कारण लाखों व्यक्ति मारे गये ।भारत में आपदा जोखिम की बढती सुभेदता को देश मे तेजी से बढती जनसंख्या ,नगरीयकरण तथा औद्योगिकरण से जोडा जा सकता है । देश के उच्च आपदा जोखिम क्षेत्रों मे किया जाने वाला विकास तथा पर्यावरण अवनयन इन आपदाओ की सुभेद्यता ओर अधिक बढ रहा है।

4. आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 – उक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा 23 दिसम्बर 2005 को देश में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 लागु किया गया । आपदा को परिभाषित करते हुए लिख गया है, कि 'आपदा से आशय है, प्राकृतिक तथा मानव जनित कारणों से उत्पन्न ऐसी प्रलय, दुर्घटना, विपदा या घातक घटना जो प्रभावित समुदाय की निपटने की क्षमता से परें है।'

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में चेप्टर तथा 79 सेक्शन है। यह अधिनियम भारत मे आपदाओं के तथा इससे संबंधित मामलो का प्रभावी प्रबंधन है।

5. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के उद्देश्य – आपदा प्रबंन्धन अधिनियम के सेक्शन 2(d)व (c) के अनुसार आपदा प्रबंन्धन का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित क्रियाकलापों के नियोजन संगठन, समन्वय तथा क्रियान्वयन के सतत समन्वित प्रक्रिया से होता है।

1. किसी आपदा की सम्भावना या खतरे का विरोध।
2. किसी आपदा के जाखिम, प्रचण्डता तथा परिणामों का निवारण या निराकरण ।
3. शोध व ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता सृजन ।

4. किसी आपदा की खतरे की स्थिति उत्पन्न होने पर त्वरित प्रतिक्रिया।
5. किसी आपदा से निपटने की तैयारी।
6. किसी आपदा के प्रभावों की प्रचण्डता या तीव्रता का आकलन।
7. निर्वासन, बचाव तथा राहत कार्य।
8. पूनर्वास तथा पूनर्निर्माण।

6. भारत में आपदा प्रबन्धन की संस्थागत एवं संगठनात्मक संरचना:

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
2. प्रान्तीय आपदा प्रबंधन प्रधिकरण।
3. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
4. राष्ट्रीय कार्यकारी समिति।
5. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल।
6. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान।

भारत मे आपदा नियोजन की उपलब्धियां – कुछ समय पहले आया चक्रवात पिछले दो दशको से भारत भुमि से टकराने वाला सर्वाधिक तीव्र चक्रवात था। ओडिसा की तैयारी, प्रभावी पुर्ण चेतावनी प्रणाली, समयानुकुल कार्यवाही और सुनियोजित वृहद स्तर की अस्थाई विस्थापन प्रक्रिया नें 1.2 मिलियन लोगों की लगभग चार 4000 चक्रवात आश्रय स्थलों में सुरक्षित पहुॅचाने मे सहायता की और इस तरह संवेदनशील समुद्री क्षैत्र में खतरे में पढे, लोगो की रक्षा की युनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क डिडक्शन (UNISDR) और अन्य संगठनो उन सरकारी और स्वैच्छिक प्रयासो की सराहना की जिनसे विनाश के स्तर को न्युनतम रखा जा सकता है। इसी तरह 2014 में हुदहुद चक्रवात के दोरान आंध्रप्रदेश में भी लाखो लोगों के लिए समान रूप से इसी प्रकार की अस्थाई विस्थापन रणनीति पर अमल किया गया था। इसी प्रकार की रणनीतियां अपनाने से चक्रवात के दौरान होने वाली मोतो में भी कमी आयी। वर्ष 1999 में ओडिसा सुपर साइक्लोन के दौरान 10000 लोगों की मोत की तुलना में वर्ष 2019में फणी चक्रवात के दोरान मोतों का आकडा दहाई आकडे में सिमट गया।वैश्विक स्तर पर इसके अतिरिक्त कोविड-19 जैसे महामारी को नियंत्रित किया गाया।

सुझाव :

1. विभिन्न सरकारी और गेर सरकारी संस्थाओ में आपदा प्रबंध हेतु समन्वय बनाना।
2. विकास योजनाओ का पर्यावरण प्रभाव के दृष्टिकोण सें विश्लेषण करना।
3. आपदा संबधी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नीति निर्धारण मे सहयोग प्रदान करना।
4. पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु पर्याप्त मानवीय एवं संगठित साधनों को जुटाना।
5. पर्यावरण चेतना जाग्रत करना तथा पर्यावरण शिक्षा का प्रसार करना।
6. प्रबंधन हेतु किये गये उपायों के परिणामों को सतत जांच एवं सुधार।
7. पर्यावरण के विभिन्न पक्षों पर शोध कार्य को बढावा देना।

निकर्ष – आपदा प्राक्रतिक या मानवकृत दोनो प्रकार की हो सकती है,परन्तु हर संकट आपदा भी नही होती। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं का नियंत्रण मुश्किल हैं ।। इसका बेहतर उपाय इनके निवारण की तैयारीयां करना है आपदा निवारण और प्रबंधन की तीन अवस्थाए है –

1. आपदा से पहले –आपदा के बार में ऑकडें और सुचना एकत्र करना – आपदा संभावी क्षैत्रो का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारें में जानकारी देना।
2. आपदा के समय युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे –आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत केंप, जल, भोजन व दवाई अपुर्ति।
3. आपदा के पश्चात प्रभावित लोगों का बचाव व पुनर्वास। भविष्य मे आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करना।

भारत जैसे देश में जहॉ दो तिहाई क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुभेद्य है इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदम का उदाहरण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, ज्योति पर्यावरणीय अध्ययन (म.प्र.) हिन्दी ग्रन्थ अकादमी सन् 2019 प्रष्ठ-86
2. कश्यप चेतना, प्राकृतिक संकट तथा आपदाऍ साहित्य भवन, आगरा सन् 2020 प्रष्ठ- 163,164
3. नारायण, राम, वैश्विक संकट की चुनौतियां तथा निदान अग्रवाल पब्लिकेशन, जयपुर सन् 2021प्रष्ठ-209

****